

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
 उपखण्ड जिला
 विषय:- राजस्व रेकॉर्ड दुरस्ती बाबत अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
 द्वारा- पटवारी पटवार हल्का
 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्ध हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है -

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्दरलाईन करें)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1	2	3
पटवार हल्का राजस्व ग्राम खाता संख्या खसरा संख्या रकबा हेक्टेयर में	पटवारी हल्का 5/0 किरानाराज हिल्सा 122/2515 प्रजाती देवी श्री किरानाराज हिल्सा 122/2515 खसरा संख्या 122/2515 रकबा हेक्टेयर में 5-03	पटवारी हल्का 5/0 किरानाराज हिल्सा 122/2515 प्रजाती देवी श्री किरानाराज हिल्सा 122/2515 खसरा संख्या 122/2515 रकबा हेक्टेयर में 5-03

- संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए)
1. अशुद्ध होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
 2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी /नक्शा
 3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
 4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजरा / वंशावली
 5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या:-

हस्ताक्षर आवेदक
 रामसुख
 हिरालाल

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशषा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत):-

भूमि निरीक्षक
 तहसीलदार की टिप्पणी :-

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला
 क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2024/307 दिनांक:- 20/11/2024

आदेश
 प्रार्थी निवासी के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त, आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2024/307

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. तहसीलदार को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. हल्का पटवारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
3. प्रार्थी / आवेदक को सूचनार्थ।

.....
 श्री 0 हिरालाल

उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी

दिनांक:- 20/11/24 - नावां

उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 - नावां -